न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी – सुश्री प्रियंका तलानिया आर.ए.एस.

अनवान –

राजप्रीत कौर पत्नी श्री बलविन्द्र सिंह पुत्री श्री रिछपाल सिंह उम्र वर्ष जाति जटसिख निवासी 26 एम.ओ.डी. गुरूसर मोडिया तहसील सूरतगढ़ जिला श्री गंगानगर (राज.)

वादिया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर(राज.)

प्रतिवादी

(वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं
धारा 125, 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956)

प्रकरण संख्या – 47/2019 **निर्णय दिनांक –** 26.11.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है :-

यह कि वादिया द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं धारा 125, 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादिया का जन्म रिछपाल सिंह जटसिख के घर पर हुआ है एवं वादिया जन्म से ही सिक्ख धर्म की अनुयायी है एवं हमारे समाजिक परिवेश अनुसार व सिक्ख समाज में प्रचलित प्रथानुसार लडकियों का विवाह उपरान्त ससुराल पक्ष के द्वारा अपनी इच्छानुसार नाम परिवर्तन कर दिया जाता है। वादिया का वादिया के पीहर में नाम कमलजीत कौर था व वादिया को वादिया के पीहर में कमलजीत कौर पुत्री रिछपाल सिंह के नाम से जाना एवं पहचाना जाता था व यही नाम वादिया का वादिया के पिता के द्वारा अपने निवास स्थान 12 जी.बी. की ग्राम पंचायत में जारी करवाये गये अपने परिवार राशन कार्ड में भी अंकित किया गया था। एवं जब वादिया बालिग हुई एवं वादिया का वोट बनाया गया एवं वोटर पहचान पत्र वादिया के पीहर में जारी करवाया गया उसमें भी वादिया का नाम कमलजीत कौर पुत्री रिछपाल सिंह अंकित करवाया गया। जिस पर वादिया का फोटो भी है। वादिया के बालिग होने व विवाह योग्य आयु पूर्ण होने पर वादिया का विवाह बलविन्द्र सिंह निवासी 26 एम.ओ.डी. गुरूसर मोडिया के साथ कर दिया जाने पर वादिया के ससुराल पक्ष के द्वारा वादिया का नाम विवाह उपरान्त कमलजीत कौर से बदल कर राजप्रीत कौर रख दिया गया एवं वादिया अपने ससुराल में राजप्रीत कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह के नाम से जानी एवं पहचानी जाने लगी व वादिया के ससुराल में वादिया के जो भी दस्तावेज जारी करवाये गये उसमें वादिया का नाम

लगातार..........2

Priyanka
प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

राजप्रीत कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह दर्ज करवाया गया वादिया को आधार कार्ड संख्या 2220 3399 4581 जारी करवाया गया। उसमें वादिया का नाम राजप्रीत कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह अंकित है वादिया का भामाशाह कार्ड संख्या YMMWDIW जो जारी किया गया है उसमें भी वादिया का नाम राजप्रीत कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह अंकित है व इसी प्रकार गुरूसर मोड़िया ग्राम पंचायत के द्वारा जारी मेरे ससुर गंगा सिंह के परिवार राशन कार्ड मे भी मेरा नाम राजप्रीत कौर अंकित किया गया है व वादिया का वोटर पहचान पत्र में भी वादिया का नाम राजप्रीत कौर अंकित किया गया है। इस प्रकार वादिया को अपने ससुराल में नाम बदल कर राजप्रीत कौर कर दिया गया है व अब वादिया के समस्त दस्तावेजात में नाम राजप्रीत कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह ही हैं व आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, वोटर पहचान पत्र में वादिया की फोटो भी स्केन की हुई है व मुझ वादिया को अब सभी आम व खास के द्वारामेर नये नाम राजप्रीत कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह के नाम से जाना एवं पुकारा जाता है। वादिया के पिता/माता के नाम से चक 11 जीबी. (बी) का मु.नं. 45 प.न. 139/399 का किला नं. 1, 2, 15 ता 25 का 3.036 है. भूमि धारण करते थे जो कि उपरोक्त भूमि उनके देहान्त उपरान्त उपरोक्त भूमि में से 0.759 है. भूमि वादिया के नाम से विरास्तन में दर्ज हुई है उक्त भूमि का विरास्तन दर्ज करने के समय वादिया का नाम कमलजीत कौर भूलवंश अंकित कर दिया गया है चूंकि वादिया को वादिया के पीहर में विवाह पूर्व कमलजीत कौर के नाम से ही जाना एवं पुकारा जाता था जबकि वादिया के विवाह उपरान्त वादिया का नाम बदल कर राजप्रीत कौर कर दिया गया है एवं वादिया के पहचान सम्बन्धी व पता सम्बन्धी बनाये गये समस्त दस्तावेज में वादिया का नाम राजप्रीत कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह ही अंकित है। चूंकि उक्त भूमि के रिकॉर्ड में वादिया का नाम राजप्रीत कौर के स्थान पर कमलजीत कौर अंकित कर दिया गया है एवं वादिया के पहचान एवं पता सम्बन्धी समस्त कागजात राजप्रीत कौर के नाम से बने हुए है व वादिया को राजप्रीत कौर के नाम से से जाना पहचाना एवं पुकारा जाता है व भूमि रिकॉर्ड में वादिया का नाम कमलजीत कौर अंकित होने से वादिया उक्त भूमि का निर्बाध उपयोग उपभोग करने में, उक्त भूमि को समतल करने, इसमें सुधार कार्यों को करने व सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित हो जाती हूँ। भूमि रिकॉर्ड में व पहचान बाबत दस्तावेज में नाम पृथक पृथक होने से वादिया को उक्त भूमि पर न तो किसी प्रकार किसान क्रेडिट कार्ड, फसली ऋण, भूमि सुधार हेतु सहायता प्राप्त कर सकती है और न ही अन्य किसी सरकारी योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हूँ। उपरोक्त पैरा में वर्णित भूमि 11 जी.बी.(बी) का मु.नं. 45 प. नं. 139/399 का विरास्तन इन्द्राज में जो कमलजीत कौर पुत्री रिछपाल सिंह के रूप में अंकित है वह मैं वादिया ही हूँ एवं मैं वादिया ही उक्त भूमि में दर्ज 0.759 है. की मालिक हूँ। वादिया का नाम राजप्रीत कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह है किन्तु भूलवश उक्त रिकॉर्ड में नाम कमलजीत कौर अंकित कर दिया गया है इसलिए वादिया स्वयं राजप्रीत कौर पुत्री रिछपाल पत्नी बलविन्द्र सिंह भूमि 11 जी.बी.(बी) का मु.नं. 45 प.नं. 139/399 का 0.759 हैत्र भूमि की खातेदार घोषित करवाकर उक्त भूमि रिकॉर्ड में अपना नाम जरिये दूरूस्ती कमलजीत कौर पुत्री रिछपाल सिंह के स्थान पर

लगातार.........3

प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

राजप्रीत कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह दूरूस्त करवाने की विधिक अधिकारी हूँ। चक 26 एम.ओ.डी. गुरूसर मोडिया में वादिया के अलावा राजप्रीत कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह नामक की कोई महिला कभी नहीं रही है ना ही वर्तमान में निवास कर रही है। कमलजीत कौर व राजप्रीत कौर दो अलग अलग महिला नहीं है बल्कि एक ही महिला है। वादिया को उक्त बात की जानकारी अब माह मई 2019 में फसल विक्रय हेतु गिरदावरी प्राप्त करने के लिए पटवारी हल्का के पास जाने पर हुई जिस पर वादिया ने प्रतिवादी तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर से इस बाबत सम्पर्क कर अपने ससुराल के समस्त पहचान बाबत दस्तावेज दिखाते हुए अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में दूरूस्त करने बाबत कहा तो प्रथमतः उनके द्वारा आश्वासन दिया जाता रहा किन्तु वादिया का नाम दूरूस्त नहीं किया गया है अन्ततः दिनांक 21/06/2019 यह कहते हुए कि इस बाबत आप चाराजोही माननीय अदालत में करे वादिया का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करने से इन्कार कर दिया। बस यही तारीख विनाए मुखास्मत वाद कारण है। यदि भूमि रिकॉर्ड में वादिया का नाम दूरूस्त किया जाकर कमलजीत कौर के स्थान पर राजप्रीत कौर नहीं किया जाता है तो वादिया को भूमि काश्त करने में, पानी पर्ची प्राप्त करने, भूमि विभाजन , राजस्व अदायगी, सिंचाई आवयाना अदायगी करने, बैंक ऋण प्राप्त करने, सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने आदि कार्यो व दैनिक कार्यो में भारी परेशानी का सामना करना पडेगा जिससे वादिया के विधिक अधिकारो का हनन होगा एवं वादिया को ना पूरा होने वाला नुकसान होगा। जबकि रिकॉर्ड में वादिया का नाम दूरूस्त कर कमलजीत कौर के स्थान पर राजप्रीत कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह दूरूस्त किया जाने पर प्रतिवादी के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडेगा इसलिए वादिया अपना नाम दूरूस्त करवाकर कमलजीत कौर के स्थान पर राजप्रीत कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह अंकित करवाने की विधिक अधिकारी है। आदि का प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा कि चक 11 जी.बी.(बी) तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 45 प.नं. 139/399 का 3.036 है. भूमि के रिकॉर्ड में दर्ज कमलजीत कौर की बजाए राजप्रीत कौर को खातेदार होना घोषित किया जावे एवं उक्त भूमि के रिकॉर्ड वा वर्तमान जमाबन्दी में दुरूस्ती कर वादिया का नाम कमलजीत कौर पुत्री रिछपाल सिंह दर्ज है वहां राजप्रीत कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह दर्ज करने के आदेश दिया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी पैरोकार राज को जरिये नोटिस तलब किया गया। पैरोकार राज की ओर से रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार चक 11 जी.बी.(बी) के मु.नं. 45 का 0.759 है. रकबा कमलजीत कौर पुत्री रिछपाल सिंह के नाम से दर्ज है। मौके पर मलकीत सिंह पुत्र दीदार सिंह, हरमीत सिंह पुत्र दीदार सिंह, गुरजीत सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह उपस्थित मिले। मुताबिक मौका जानकारी प्रार्थीया राजप्रीत कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह पुत्री रिछपाल सिंह का पीहर 11 जी.बी.(बी) में है। प्रार्थीया के परिवार के सदस्य भाई व भतीजे वर्तमान में 11 जी.बी.(बी) के मु.नं. 45 में निवास करते है। पुछने पर उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि प्रार्थीया राजप्रीत कौर का शादी से पूर्व पीहर में नाम कमलजीत कौर था जो शादी के बाद में ससुराल पक्ष द्वारा नाम राजप्रीत कौर रख दिया गया। दस्तावेजी साक्ष्य के तौर पर प्रार्थीया द्वारा

लगातार.........4

रिंकू तनेजा (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

वोटर पहचान पत्र क्रमांक BDL4012474 जारी वर्ष 08/12/2003 एवं आधार कार्ड नं. 2220 3399 4581 की प्रतिलिपि प्रस्तुत की। मुताबिक जांच व दस्तावेजी जांच प्रार्थीया का कथन सही है। प्रतिवादी राज पैरोकार के द्वारा वादिया का नाम कमलजीत कौर की बजाए राजप्रीत कौर किये जाने की अनुशंषा की।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया गया एवं कानूनी बिन्दुओं एवं प्रावधानों का मनन किया गया तहसीलदार की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट पटवारी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में कर्मजीत कौर है एवं वर्तमान में वादिया के पहचान के सभी दस्तावेजों आधार कार्ड व पहचान पत्र आदि में वादिया का नाम राजप्रीत कौर अंकित है।

अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट एवं धारा 125, 136 एल. आर. एक्ट का मुताबिक तहसीलदार अनुशंषा मय रिपोर्ट व साक्ष्य व सबूत के आधार पर स्वीकार किया जाकर जमाबन्दी चक 11 जी.बी.(बी) तहसील श्री विजयनगर का मु.नं. 45 प.नं. 139/399 का 3.036 है. भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादिया का नाम कमलजीत कौर के स्थान पर कमलजीत कौर उर्फ राजप्रीत कौर दर्ज करने के दूरूस्ती आदेश दिये जाते है। तहसीलदार राजस्व श्री विजयनगर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 26..11..2019.. को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Priyanka

(प्रियंका तलानिया)
प्रियंका तलानिया (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Scanned by CamScanner